

भाग - II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

7	परियोजना/स्कीम का स्थान		25.866 हे.																							
i	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	i	मध्य प्रदेश																							
ii	जिला	ii	बैतूल																							
iii	वन प्रभाग	iii	वन मण्डल का नाम उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल/परिक्षेत्र का नाम सारनी / वन खण्ड का नाम / आवेदित वन क्षेत्र 25.866 हेक्टेयर है। (अ) वन विभाग के अधीन वन भूमि :-																							
<table border="1"> <tr> <td>परिक्षेत्र का नाम</td> <td>आरक्षित / संरक्षित वन खण्ड का नाम</td> <td>कक्ष क्रमांक</td> <td>आवेदित क्षेत्रफल (हे.मे)</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">निर्णय :-</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(ब) राजस्व विभाग के अधीन वन भूमि :-</td> </tr> <tr> <td>परिक्षेत्र का नाम</td> <td>तहसील का नाम</td> <td>ग्राम का नाम</td> <td>खसरा क्रमांक</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">सारनी (सा.)</td> <td rowspan="4">घोडाखोरासी</td> <td rowspan="4">गांधीग्राम</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>174</td> </tr> <tr> <td>कुल योग:-</td> </tr> <tr> <td>25.866</td> </tr> </table>				परिक्षेत्र का नाम	आरक्षित / संरक्षित वन खण्ड का नाम	कक्ष क्रमांक	आवेदित क्षेत्रफल (हे.मे)	निर्णय :-				(ब) राजस्व विभाग के अधीन वन भूमि :-				परिक्षेत्र का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	सारनी (सा.)	घोडाखोरासी	गांधीग्राम	11	174	कुल योग:-	25.866
परिक्षेत्र का नाम	आरक्षित / संरक्षित वन खण्ड का नाम	कक्ष क्रमांक	आवेदित क्षेत्रफल (हे.मे)																							
निर्णय :-																										
(ब) राजस्व विभाग के अधीन वन भूमि :-																										
परिक्षेत्र का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक																							
सारनी (सा.)	घोडाखोरासी	गांधीग्राम	11																							
			174																							
			कुल योग:-																							
			25.866																							
iv	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	iv	25.866 हे.																							
v	वन की कानूनी स्थिति	v	राजस्व वन क्षेत्र है।																							
vi	वनो का घनत्व	vi	आवेदित वनक्षेत्र रिकत वन है जिसका घनत्व 0.2 है।																							
vii	आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की परिगणना संलग्न की जाए। सिंचाई / विद्युत परियोजना के संबंध में एक आर.एल.एफ. आर.एल-2 मीटर और एक आर.एल-4 मीटर पर भी वृक्षों की गणना संलग्न किया जाए।	vii	संलग्न है।																							

viii	भू-संरक्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। (वर्तमान भू-क्षरण की तीव्रता एवं प्रस्तावित परियोजना में वनक्षेत्र व्यपवर्तन होने पर संभावित भू-क्षरण बाबर)	viii	अपेक्षित नहीं।	
ix	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	ix	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी 300 मीटर है।	
x	क्या आवेदित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है? (यदि हां तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए।)	x	प्रस्तावित परियोजना में आवेदित वन क्षेत्र क्रमशः नंबर - 11 एवं 174 राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग नहीं है।	
xi	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणि जात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। यदि हां/तो तत्संबंधी ब्यौरा दे।	xi	नहीं है।	
xii	क्या कोई संरक्षित पुरातत्ववीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा संक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो दे।	xii	नहीं है।	
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है ?	8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता भूमिगत खनन पद्धति से कोयला उत्पादन के लिये आवश्यक है।	
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं ?	9	नहीं।	

iii	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वनक्षेत्र।	iii	अभी तक कुल 50 प्रकरणों में 2211.781 हेक्टेयर वनक्षेत्र गैरवित्तिकी कार्य हेतु प्रयोग में लाया गया है।																					
iv	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (दांडिक प्रतिपूरक वनीकरण सहित)	iv	24.10.80 से भारत सरकार/राज्य सरकार/नोडल अधिकारी मुख्य वन संरक्षक (भू-सर्वे) से प्राप्त स्वीकृति अनुसार अभी तक निम्नानुसार वृक्षारोपण किया जाना था।																					
			<table><tr><th>अनु क्र.</th><th>दुगने बिगडे / समतुल्य वनक्षेत्र में (हे. मे)</th><th>दण्डसवरूप वनभूमि पर (हे. मे)</th><th>स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (हे. मे)</th><th>दण्डसवरूप गैर वनभूमि पर (हे. मे)</th><th>योग</th><th></th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>155.314</td><td>2117.096</td><td>0.000</td><td>0.00</td><td>2272.41</td><td></td></tr></table>	अनु क्र.	दुगने बिगडे / समतुल्य वनक्षेत्र में (हे. मे)	दण्डसवरूप वनभूमि पर (हे. मे)	स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (हे. मे)	दण्डसवरूप गैर वनभूमि पर (हे. मे)	योग		1	2	3	4	5	6		1	155.314	2117.096	0.000	0.00	2272.41	
अनु क्र.	दुगने बिगडे / समतुल्य वनक्षेत्र में (हे. मे)	दण्डसवरूप वनभूमि पर (हे. मे)	स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (हे. मे)	दण्डसवरूप गैर वनभूमि पर (हे. मे)	योग																			
1	2	3	4	5	6																			
1	155.314	2117.096	0.000	0.00	2272.41																			
v	प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	v	अभी तक निम्नानुसार वृक्षारोपण किया गया है।																					
			<table><tr><th>अनु क्र.</th><th>दुगने बिगडे वनक्षेत्र में (हे. मे)</th><th>दण्डसवरूप वनभूमि पर (हे. मे)</th><th>स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (हे. मे)</th><th>दण्डसवरूप गैर वनभूमि पर (हे. मे)</th><th>योग</th><th>व्यय</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td></td><td>106.928</td><td>1167.389</td><td>180.271</td><td>-</td><td>1454.588</td><td></td></tr></table>	अनु क्र.	दुगने बिगडे वनक्षेत्र में (हे. मे)	दण्डसवरूप वनभूमि पर (हे. मे)	स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (हे. मे)	दण्डसवरूप गैर वनभूमि पर (हे. मे)	योग	व्यय	1	2	3	4	5	6	7		106.928	1167.389	180.271	-	1454.588	
अनु क्र.	दुगने बिगडे वनक्षेत्र में (हे. मे)	दण्डसवरूप वनभूमि पर (हे. मे)	स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (हे. मे)	दण्डसवरूप गैर वनभूमि पर (हे. मे)	योग	व्यय																		
1	2	3	4	5	6	7																		
	106.928	1167.389	180.271	-	1454.588																			
			टीप:- अभी तक इस वनमंडल के अंतर्गत 337.491 हे. में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें राशि रूपये 29,31,222 / - व्यय हुआ।																					
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा अमान्य करने के संबंध में उपवन संरक्षक का कारण सहित अभिमत। नोट- आवेदित वनभूमि के व्यपवर्तन से जिले/राज्य के वन एवं पर्यावरण पर संभावित विपरित प्रभाव एवं प्रस्तावित परियोजना से संभावित लाभों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव मान्य/अमान्य करने बाबत स्पष्ट अभिमत दिया जावे। यदि किन्हीं विशेष शर्तों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है तो उन शर्तों का ब्यौरा दिया जावे।	13	1. आवेदित खसरा नंबर - 11 एवं 174 पंचमढ़ी बायोस्फियर रिजर्व की सीमा से 10 कि.मी. की परिधि में आता है। 2. आवेदक संस्थान द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत शासन से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त प्रकरण में वैकल्पिक एवं दांडिक वृक्षारोपण की मांग अनुसार कुल राशि रूपये 25,54,62,766 / - (पच्चीस करोड़ चौवन लाख बासठ हजार सात सौ छैसठ रूपये मात्र) आज दिनांक तक जमा नहीं की गयी है। वर्ष-2012 से आज दिनांक तक मंहगाई में वृद्धि होने फलस्वरूप वैकल्पिक एवं दांडिक वृक्षारोपण हेतु आंकलित राशि में बढ़ोतरी होना अवश्यभावी है। 3. आवेदक संस्थान द्वारा आवेदित राजस्व वन भूमि पर प्रस्तावित तवा -3 खदान में भूमिगत कोयला उत्खनन हेतु भारत शासन से स्वीकृति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की जाती है।																					

तिथि :- 21/05/2017
स्थान :- बैतुल

हस्ताक्षर
नाम साफ अक्षरों में (संजीव झा)
पदनाम
(सरकारी मोहर)
वनमण्डल अधिकारी
बैतुल (सा.) व.म.